

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी 2015

फा.सं. एल-विविध/VI/1/2007,—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रजिस्टर) विनियम, 2010, में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- (1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रजिस्टर) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस रजिस्टर) विनियम, 2010, के विनियम 6 के लिए निम्नलिखित को प्रस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

“6. सामान्य.

इन विनियमों की व्याख्या के रूप में यदि, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।”।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन-III/4/असा./188/14]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. 481(अ), दिनांक 7-6-2010 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और सा.का.नि. 721(अ) दिनांक 1-9-2010 के माध्यम से संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2015

F.No. L-MISC/VII/2007.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Petroleum and Natural Gas Register) Regulations, 2010, namely :—

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Petroleum and Natural Gas Register) Amendment Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For regulation 6 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Petroleum and Natural Gas Register) Regulations, 2010, the following shall be substituted, namely:—

“6. General.

If any question arises as to the interpretation of these regulations, the same shall be decided by the Board.”

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVI. III/4/Exty./188/14]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 481(E), dated 07/06/2010 and amended *vide* G.S.R. 721(E) dated 1-9-2010.